तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थी। श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** यह निगरानी अंतर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि तहसीलदार उप निवेशन नाचना नंबर–2 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 23(2) के तहत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को दिनांक 4–3–93 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 के तहत चक 18 एसकेडीए का मुरब्बा नंबर 141/18 में 25 बीघा भूमि कमांड का आवंटन किया गया। जबकि वह केवल 12 बीघा भूमि का आवंटन का पात्र था लेकिन आवंटन अधिकारी द्वारा उसे पात्रता से अधिक आवंटन किया है। प्रकरण में लॉटरी विधिवत् रूपसे नहीं निकाली गई है। वह सद्भावी कृषक नहीं होने से उसे किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर ने निर्णय दिनांक 23–12–05 से उक्त आवंटन खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी पेशे से सद्भावी कृषक है तथा उसका कोई दुकान या वाहन चालक का पेशा नहीं है। उसने आवंटन प्रार्थना पत्र में पेशा कृषि अंकित किया है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को तोडमरोड कर उसे सद्भावी कृषक नहीं मानकर गलत तरीके से उसका आवंटन निरस्त किया है। प्रार्थी के काश्तकार होने का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये होने से प्रार्थी का कृषक होना साबित था। प्रार्थी द्वारा आवंटित आराजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	को खुदकाश्त किया जा रहा है। किंतु अपीलीय न्यायालय ने भी प्रार्थी के उक्त तर्को को नकारते हुये उसका आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी का आवंटन आदेश बहाल रखा जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कहा कि प्रार्थी का पेश कृषक न होकर दुकानदारी करना है। प्रार्थी का आवंटन बिना लाटरी के गलत तरीके से किया गया था। ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि वरवक्त आवंटन अप्रार्थी आवंटी के नाम कोई भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज हो। फोटो प्रमाण पत्र में नाचना ग्राम के विभिन्न पटवारियों की रिपोर्ट में अप्रार्थी को भूमिहिन होना एवं सदभावी कृषक होना अंकित किया है। इसके अतिरिक्त फोटो प्रमाण पत्र पर आय का प्राथमिक स्त्रोत मजदूरी एवं व्यवसाय खेतीहर मजदूरी होना पटवारी/तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित किया गया है। राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत कृषि श्रमिक को भी भूमिहीन की श्रेणी में परिभाषित किया गया है। अतः अप्रार्थी को भूमिहीन मानकर ही नियमों के तहत आवंटन किया है तथा खेतीहर मजदूर क रूप में वह आवंटन की पात्रता रखता है। आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय की आवंटन संबधी पत्रावली दिनांक 17–8–92 व 4–3–93 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–05 विधिसम्मत् नहीं होने से खारिज योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परिणामतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–05 निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 4–3–93 बहाल रखा जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राकेश कुमार जायसवाल)** **सदस्य**	

निगरानी /कोलो/655/ 2006/ जैसलमेर
हरिप्रसाद बनाम सरकार